न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 71/2014/225 आरटीए

जगदीश पुत्र चान्ददास जाति स्वामी निवासी राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. दयाराम पुत्र जैसराम जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. नानूदास पुत्र सांवलदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।
3. हनुमानदास पुत्र मुलदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
4. भंवरी पुत्री मुलदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
5. मनोहरीदेवी पुत्री सांवलदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
6. नानूदेवी पुत्री सांवलदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
7. सुरजदास पुत्र भानीदास पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
8. प्रतापदास पुत्र भानीदास पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
9. खिराजदास पुत्र भानीदास पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
10. केसरदेवी पुत्री बुधरदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
11. सनडी पुत्री भानीदास पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
12. गीता पुत्री भानीदास पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

13. मुस्मात लिछमां पत्नि भजनदास जाति स्वामी निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. भंवरदास पुत्र मोटदास पुत्र प्रेमदास जाति स्वामी निवासी खुईयां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. मोहनदास पुत्र मोटदास पुत्र प्रेमदास जाति स्वामी निवासी खुईयां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. चिमनदास पुत्र मोटदास पुत्र प्रेमदास जाति स्वामी निवासी खुईयां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. सरदारदास पुत्र मोटदास पुत्र प्रेमदास जाति स्वामी निवासी खुईयां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. उपपंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.05.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्र0सं0 131/2012 अनवानी दयाराम बनाम नानूदास आदि

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांक —15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए प्रस्तुत किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया कि रोही मौजा खुईयां के खाता सं. 281/205 के खसरा नं. 567 की 3.09 बीघा, खसरा नं. 702 की 22.17 बीघा कुल 34.18 बीघा व खाता सं. 280/204 के खसरा नं. 766 की 30.17 बीघा भूमि स्थित उपरोक्त भूमि धोकलदास की अर्जित भूमि है। उन्होने लगान सरकार अदा किया तथा उक्त भूमि धोकलदास के फौत होने के बाद उसके वारिसान के कब्जा मे है तथा गैर सायलान के वालिदान ने 2000 मे ग्राम खुईया को छोड़ दिया था। इसलिये गैर सायलान का उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है उनका वादग्रस्त भूमि सहवन से नाम दर्ज है जिसे राजस्व रिकार्ड से कलमजन के लिये न्यायालय हाजा मे अनवानी जैसदास बनाम भंवरदास वाद सं. 160/98 प्रस्तुत किया जो दिनांक 08.12.99 को सायल एवं दावा मे

दिगर तरतीबी प्रतिवादी के पक्ष मे डिक्री किया गया उक्त प्रकरण की अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ मे गई जो दिनांक 25.10.10 को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.99 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर मे की गई जो दिनांक 22.07.05 खारिज होकर राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.10.10 को बहाल रखा गया।

2. सन् 2005 से 2012 तक वादग्रस्त भूमि के संबंध मे राजस्व रिकार्ड मे कोई स्थगन आदेश नही होने के कारण गैरसायल नं. 12 ने गैरसायल सं. 1, 4 ता 11 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.06.12 को वादग्रस्त भूमि खरीद कर ली तथा वह उक्त भूमि का खरीदशुदा खातेदार काश्तकार है इसलिए उक्त बैयनामा को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने का दावा पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया है। गैर सायलान सं. 2 व 3 ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक पैण्डिग रखे जाने का आदेश दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय कतई गलत विधि विरूद्ध पारित किया है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र जैर दफा 212 आरटीए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे विचाराधीन प्रकरण मे निस्तारण तक पैण्डिग रखे जाने का आदेश दिया है जबकि सायल रेस्पो0 ने नीचे की पत्रावली पर कोई दस्तावेज पेश नही किया था। मगर विचारण न्यायालय सायल रेस्पो का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण ना बनते हुए खारिज करने की बजाय पैण्डिग रखने का निर्णय पारित कर दिया। सायल ने अपने दावा मे माना है कि राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 25.10.2000 व राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 22.07.2005 उसके

खिलाफ है तथा सन् 2005 से लेकर 2012 तक कोई स्थगन आदेश प्रभावी नही था तथा गैर सायल नं. 12 अपीलांट ने साधिकार दिनांक 25.06.12 को वादग्रस्त भूमि खरीद की है तथा खरीदशुदा खातेदार हो चुका है। जिसके खिलाफ कोई स्थगन जारी नही हो सकता था। रेस्पो0 ने दावा मे बैयनामा को निरस्त करने की इस्तदुआ की है ना कोई खातेदारी अधिकारो की घोषणा की इस्तदुआ की है। बैयनामा खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही है। जब सायल के पिता व दादा द्वारा पूर्व मे दावा रिट जैरकार थी तो केवल बैयनामा खारिज करवाने की इस्तदुआ के साथ दावा पेश करने का राजस्व न्यायालय मे अधिकार नही था तो प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए पैण्डिग रखने की बजाय खारिज ना कर सायल का नाजायज फायदा दिया, केवल खरीददार की खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण ना हो सके। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.14 अपास्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रोही मौजा खुईयां के खाता सं. 281/205 के खसरा नं. 567 की 3.09 बीघा, खसरा नं. 702 की 22.17 बीघा कुल 34.18 बीघा व खाता सं. 280/204 के खसरा नं. 766 की 30.17 बीघा भूमि स्थित उपरोक्त भूमि धोकलदास की अर्जित भूमि है। उन्होने लगान सरकार अदा किया तथा उक्त भूमि धोकलदास के फौत होने के बाद उसके वारिसान के कब्जा मे है तथा गैर सायलान के वालिदान ने 2000 मे ग्राम खुईया को छोड़ दिया था। इसलिये गैर सायलान का उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है उनका वादग्रस्त भूमि सहवन से नाम दर्ज है जिसे राजस्व रिकार्ड से कलमजन के लिये न्यायालय हाजा मे अनवानी जैसदास बनाम भंवरदास वाद सं. 160/98 प्रस्तुत किया जो दिनांक 08.12.99 को सायल एवं दावा मे दिगर तरतीबी प्रतिवादी के पक्ष मे डिक्री किया गया उक्त प्रकरण की अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ मे गई जो दिनांक 25.10.10 को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.

99 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर मे की गई जो दिनांक 22.07.05 खारिज होकर राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.10.2000 को बहाल रखा गया। जिसके विरूद्ध सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे रीट प्रस्तुत की गई जो लम्बित है। इसी दौरान एक वाद सं. 124/05 नानदास बनाम जैसदास प्रस्तुत जो दिनांक 20.10.2000 को गैरसायल के विरूद्ध डिक्री किया गया। इन्ही लम्बित कार्यवाहीयों के मध्य गैरसायल नं. 1, 4 व 5 ने गैरसायल सं. 12 के पक्ष मे दिनांक 25.06.12 को बैयनामा करवा दिया। उक्त बैयनामा शून्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि उक्त बैयनामा माननीय उच्च न्यायालय मे वाद विचाराधीन रहते हुए करवाए गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपीलांट व अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया कि वाद भूमि को ताफैसला दावा अपने नाम दर्ज ना करवाये और ना ही वाद भूमि मे कब्जा करने से बाज आये, वाद भूमि को रहन बैय ना करे, रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 सं. 2 ता 17 के नाम से दर्ज है, अपीलांट के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज नही है। रेस्पो0 सं. 1 का मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त भूमि धोकलदास की अर्जित भूमि है। वादग्रस्त भूमि धोकलदास, प्रेमदास, बुधरदास व सावलदास पि. रामजीलाल के द्वारा स्वअर्जित भूमि है या केवल धोकलदास अकेले की अर्जित भूमि है, का विवाद है इसके संबंध मे एक वाद अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 08.12.99 को पारित किया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की

गई जो दिनांक 25.10.2000 को स्वीकार होकर निर्णय दिनांक 08.12.99 अपास्त किया गया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील की गई जो दिनांक 22.07.2005 को खारिज की गई और निर्णय दिनांक 25.10.2000 यथावत रखा गया जिसके विरूद्ध अपील/रीट माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे रिट सं. 20/2010 अनवानी जैसदास बनाम सरकार पेश की गई जो अभी विचाराधीन है जिसमे स्थगन आदेश अभी भी प्रभावी है।

7. उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे रिट सं. 20/2010 अनवानी जैसदास बनाम सरकार मे जारी स्थगन आज भी प्रभावी होना मानते हुए प्रार्थना पत्र की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक पैण्डिग रखी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने से अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2014 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़